न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.114 / प्रा.पत्र / 2024 (GCMS No. 2024 / 177)	08.10.2024	27.11.2024

अरशद खान पुत्र मुबारिक खान जाति मुसलमान,
निवासी नन्दपुरा, तहसील रायपुरा, जिला झालावाड़ (राज.)

— प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जर्ये अपर लोक अभियोजक, बून्दी

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–A राज.गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमयन) अधिनियम 1995

उपस्थिति –
प्रार्थी की ओर से श्री उमेश कुमार आर्य, एडवोकेट।
अप्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक।

निर्णय

यह कार्यवाही प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 6–A राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमयन) अधिनियम 1995 के तहत इस न्यायालय में पेश की जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर जप्तशुदा वाहन संख्या RJ 17 GA 3368 प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 114 / 2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2024 / 177 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी को वास्ते सुनवाई नोटिस जारी किया गया तथा केस डायरी पुलिस थाना रायथल से तलब की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना, रायथल की ओर से प्रकरण संख्या 109 / 2023 धारा 332, 353, 427 ता.ही. 5, 6, 8, गोवंश अधिनियम 1995 एवं धारा 11(i)(d) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की पत्रावली प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात मामलें में बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

अभिभाषक प्रार्थी के बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये एवं प्रस्तुत किये कि पुलिस थाना रायथल, जिला बून्दी द्वारा प्रार्थी के स्वामित्व, एक अधिकार एवं कब्जे का एक वाहन बोलेरो पिकअप रजिस्ट्रेशन नं. RJ 17 GA 3368 को बतौर सबूत जप्त कर रखा है। उक्त वाहन के कागजात जैसे वाहन चालक लाइसेंस, बीमा, टैक्स, परमिट इत्यादि पुलिस थाना रायथल के जप्त है उक्त वाहन के कागजात जैसे रजिस्ट्रेशन, ड्राईविंग लाइसेंस की फोटोप्रतियां प्रार्थना पत्र के संलग्न पेश की हुई है। प्रकरण में पुलिस द्वारा तफ्तीश पूर्ण कर ली गई है तथा पुलिस को उक्त वाहन की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त वाहन पुलिस थाना के खुले प्रांगण में खड़ा हुआ है जिससे वाहन के कलपुर्जे, ट्यूब टायर आदि मशीनरी के खराब होने का पूर्ण अन्देशा है। प्रार्थी ही उक्त वाहन का मालिक एवं स्वामी है जो सुपुर्दगी में लेने के लिए सक्षम व्यक्ति होने से न्यायालय के आदेशानुसार उचित सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा प्रस्तुत करने को तैयार है। बाद सुपुर्दगी जब भी न्यायालय उक्त वाहन को तलब करेगी, तब प्रार्थी समय समय पर न्यायालय में पेश कर देगा तथा समस्त शर्तों का प्रार्थी पूर्णतः पालना करेगा। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा वाहन को प्रार्थी को सुपुर्दगी में दिलाये जाने का निवेदन किया गया

राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस के दौरान तथ्यात्मक रिपोर्ट थानाधिकारी पुलिस थाना रायथल का अवलोकन करवाते हुए कथन किया कि पुलिस जाब्ता दौराने गश्त दिनांक 08.06.2023 को मैनवा तिराये के नजदीक मेज नदी खटकड पहुँचा, तो देई की तरफ एक पिकअप RJ 17 GA 3368 आई। जिसे चेक करने के लिए रूकने का ईशारा किया लेकिन वाहन चालक ने पिकअप को भगाकर ले जाने का प्रयास किया। तब सरकारी जीप को उक्त वाहन के आगे निकाल कर रूकवाना चाहा तो उक्त पिकअप के चालक द्वारा सरकारी जीप के पीछे से टक्कर मारी, जिससे सरकारी जीप पीछे से क्षतिग्रस्त हो गई। तब पिकअप चालक को काबू कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हनीफ पुत्र अब्दुल हकीम जाति मुसलमान निवासी खीमच, थाना सुकेत, जिला कोटा का होना बताया। उक्त पिकअप को चेक किया तो पिकअप में ठूस ठूस कर सात नर गौवंश ऊपर नीचे भरे हुए पाये गये। जिस पर उक्त पिकअप मय गौवंश एवं चालक को काबू किया गया। गौवंशों को अस्थायी रूप से तिलकेश्वर गौशाला में सिपुर्द किया तथा वाहन जप्त कर थाना में रखा गया। तहरीरी रिपोर्ट पर मुकदमा नं.109/2023 धारा 332, 353, 427 भा.द.स. 5, 6, 8 गोवंश अधि. 11(i)(d) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम थाना रायथल में दर्ज कर अनुसंधान किया गया। जिस पर अपराध प्रमाणित पाया जाने पर चालान आदेश वृत्ताधिकारी, वृत्त के.पाटन, से प्राप्त

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

कर नतीजा जर्ये चार्जशीट क्रमांक 137/2023 दिनांक 19.10.2023 को कता कर मूल पत्रावली में दिनांक 10.06.2024 को न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट बून्दी में पेश किया जा चुका है। अतः अभियोग संख्या 109/2023 पर जप्तशुदा उक्त वाहन के निस्तारण की कार्यवाही की जावें।

न्यायालय द्वारा पत्रावली व केस डायरी पुलिस थाना रायथल तथा तथात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे जाहिर आया कि बिना चिकित्सक परीक्षण रिपोर्ट व बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के वाहन पिकअप में ठूस–ठूस कर क्रूरतापूर्वक कुल 07 गोवंश को भरकर ले जाते पाया गया है। जिस पर पुलिस थाना रायथल द्वारा मुकदमा संख्या 109/2023 दिनांक 08.06.2023 पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई। उक्त वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन नम्बर **RJ 17 GA 3368** का मालिक अरशद खान पुत्र मुबारिक खान, जाति मुसलमान, निवासी नन्दपुरा, जिला झालावाड़ होना आर.सी. दिनांक 05.02.2013 से प्रकट है। प्रार्थी ने प्रकरण में जब्तशुदा वाहन बाबत तफ्तीश पूर्ण हो जाना बताते हुये वाहन थाना परिसर में खुले में खडा होने से वाहन के कलपुर्जे, टयूब टायर आदि मशीनरी के खराब होने का अंदेशा जाहिर करते हुये सुपुर्दगी में दिये जाने का निवेदन किया है। ऐसे में सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमयन) अधिनियम 1995 की धारा 6–ए अनुसार जप्तशुदा वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ 17 GA 3368 को प्रार्थी की सुपुर्दगी में 10 लाख के जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पर देने का आदेश निम्न शर्तो की पालना के अध्यधीन दिया जाता है :–

1. वाहन को रहन/बेचान नहीं करेगा।
2. बीमा अवधि समाप्त होने के पूर्व वाहन का बीमा रिन्युअल करवायेगा।
3. वाहन का रंगरोगन परिवर्तित नहीं करेगा।
4. जब भी न्यायालय वाहन को तलब करेगा, अपने खर्चे पर साक्ष्य हेतु पेश करेगा

आदेश आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट * बून्दी (राज.) *